



न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) बदायूँ

Criminal Misc. Cases 148/2025

पहलवान बनाम गोपाली आदि

थाना दातागंज, जिला बदायूँ

दिनांक-20-03-2026

पत्रावली पेश हुई। बार बार पुकार कराई गयी। प्रार्थी/परिवादी अनुपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत परिवाद प्रार्थी/परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विगत अनेकों तिथियों से न तो प्रार्थी/परिवादी स्वयं उपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादी लम्बे समय से लगातार अनुपस्थित चला आ रहा है। परिवादी को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर भी दिया जा चुका है, किन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है, जिससे विपक्षीगण के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा सके। न्यायालय की राय में विपक्षीगण के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत परिवाद धारा-226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुपस्थिति में अन्तर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(रेखा शर्मा)

विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभा० क्षेत्र)/

अपर सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।

J.O. Code -UP 02409